

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री वीरमाराम, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 77 / 20221.

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हीराराम पुत्र वीराराम उम्र 38 वर्ष		1. चिमाराम पुत्र साजनराम उम्र 61 वर्ष
2. सुरताराम पुत्र वीराराम उम्र 34 वर्ष		2. नवलाराम पुत्र उदाराम उम्र 48 वर्ष
3. तुलसी पत्नि वीराराम उम्र 75 वर्ष		3. पूनमाराम पुत्र जुगताराम उम्र 50 वर्ष
4. किशनाराम पुत्र सोनाराम उम्र 50 वर्ष		4. बाबूराम पुत्र दलाराम उम्र 40 वर्ष
5. खरताराम पुत्र मुकनाराम उम्र 60 वर्ष		5. भैराराम पुत्र दलाराम उम्र 45 वर्ष
6. गजाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 40 वर्ष		6. भीखाराम पुत्र कालूराम उम्र 58 वर्ष
7. चुतराराम पुत्र मुकनाराम उम्र 45 वर्ष		7. भोमाराम दत्तक पुत्र हुकमाराम उम्र 60 वर्ष
8. दौलाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 42 वर्ष		8. हेमाराम पुत्र पेलादराम उम्र 72 वर्ष
9. बागाराम पुत्र मुकनाराम उम्र 58 वर्ष		9. अमराराम पुत्र पेमाराम उम्र 66 वर्ष
10. पूराराम पुत्र मानाराम उम्र 55 वर्ष		10. गंगाराम पुत्र पाबूराम उम्र 62 वर्ष
11. डालूराम पुत्र मानाराम उम्र 70 वर्ष		11. चम्पादेवी पत्नि पाबूराम उम्र 82 वर्ष
जातियान जाट निवासी एड सिणधरी		12. ताजाराम पुत्र पेमाराम उम्र 70 वर्ष
तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		13. पनाराम पुत्र पेमाराम उम्र 68 वर्ष
		14. फुआराम पुत्र करनाराम उम्र 70 वर्ष
		15. भूराराम पुत्र पाबूराम उम्र 40 वर्ष
		16. भैराराम पुत्र हेमाराम उम्र 29 वर्ष
		17. मिसराराम पुत्र पाबूराम उम्र 45 वर्ष
		18. हड्डमानराम पुत्र पाबूराम उम्र 38 वर्ष
		19. धनाराम पुत्र हडवन्ताराम उम्र 65 वर्ष
		20. राउराम पुत्र हडवन्ताराम उम्र 68 वर्ष
		21. लाखाराम पुत्र खंगाराराम उम्र 85 वर्ष
		22. कंवराराम पुत्र मांगाराम उम्र 40 वर्ष
		23. कानाराम पुत्र लछाराम उम्र 60 वर्ष
		24. गोदूराम पुत्र खूमाराम उम्र 73 वर्ष
		25. देवाराम पुत्र लछाराम उम्र 66 वर्ष
		26. धमाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 56 वर्ष
		27. वालाराम पुत्र डालूराम उम्र 62 वर्ष
		28. हिमताराम पुत्र राजूराम उम्र 65 वर्ष
		29. पाबूराम पुत्र रायमलराम उम्र 51 वर्ष
		30. हिमताराम पुत्र रामजी उम्र 68 वर्ष
		31. कंवराराम पुत्र भारमलराम उम्र 50 वर्ष
		32. खेताराम पुत्र भारमलराम उम्र 54 वर्ष
		33. भंवराराम पुत्र हरखाराम उम्र 57 वर्ष
		34. मानाराम पुत्र हरखाराम उम्र 60 वर्ष
		35. अचलाराम पुत्र मोटाराम उम्र 50 वर्ष
		36. केसराराम पुत्र जोगाराम उम्र 48 वर्ष
		37. मालाराम पुत्र जोगाराम उम्र 58 वर्ष
		जातियान जाट निवासी एड मानजी तहसील
		सिणधरी जिला बाड़मेर
		38. देवाराम पुत्र रायमलराम उम्र 45 वर्ष
		39. राणाराम पुत्र भारमलराम उम्र 63 वर्ष
		40. रामाराम पुत्र भारमलराम उम्र 50 वर्ष
		41. चुतराराम पुत्र उदाराम उम्र 49 वर्ष
		42. दलाराम पुत्र रतनाराम उम्र 55 वर्ष

2/10/24
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी



43. भोमाराम पुत्र उदाराम उम्र 51 वर्ष
44. मूलाराम पुत्र रतनाराम उम्र 70 वर्ष
45. मांगीलाल पुत्र उदाराम उम्र 38 वर्ष
46. हरिराम पुत्र उदाराम उम्र 40 वर्ष
47. उम्मेदाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 56 वर्ष
48. जसाराम पुत्र पुराराम उम्र 60 वर्ष
49. पोकराराम पुत्र वालाराम उम्र 40 वर्ष
50. लाधाराम पुत्र कोहलाराम उम्र 57 वर्ष
51. विरमाराम पुत्र लिछमणाराम उम्र 52 वर्ष
52. सोनाराम पुत्र हुकमाराम उम्र 51 वर्ष
- जातियान जाट निवासी पोटलियों की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
53. क्षेत्रीय वन अधिकारी, सिणधरी
54. तहसीलदार सिणधरी

**राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)**

उपस्थिति-

1. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 54 के पैरोकार उपस्थित शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 13.10.2022

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण का खेत मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा कमश: 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा कमश: 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा कमश: 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा कमश: 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

अध्यक्ष
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

प्राथी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्राथीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस सब किया गया। विप्राथीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्राथीगण सं. 1 से 53 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्राथी की बहस सुनी गई। वकील प्राथी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्राथी की खातेदारी मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा क्रमशः 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा क्रमशः 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर भूमि आई हुई है। प्राथीगण के उपरोक्त खेत विप्राथीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्राथीगण द्वारा मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा क्रमशः 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा क्रमशः 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्राथी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा क्रमशः 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा क्रमशः 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर भूमि प्राथी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत् 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्राथी विवादित भूमि का रिकार्ड सहखातेदार है, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्राथीगण हकदार भी है एवं विप्राथीगण सं. 1 से 53 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामिली के हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है कि प्राथीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्राथीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्राथीगण का आवेदन

स्वीकार योग्य है।
अपडाण्ड अँदिकात
सिणधरी

लिहाजा,प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा एड मानजी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 133, 149, 167, 172, 173 रकबा क्रमशः 0.7119, 2.2167, 2.5079, 0.0566, 28.8489 हैक्टेयर कुल रकबा 34.3420 हैक्टेयर तथा मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 1856, 1866, 1924 रकबा क्रमशः 11.8680, 2.4108, 1.3753 हैक्टेयर कुल रकबा 15.6541 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1000/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

आदेश आज दिनांक


उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी
को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी